FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर मुकाम जोधपुर

रामदयाल **बनाम** राजेन्द्र परिहार व अन्य

किस्म मुकदमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट/106/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12 जुलाई 2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट श्री रोशनलाल उपस्थित। अपील के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम भी पेश किया गया, जिसके संबंध में सुनवाई एवं आदेश सुरक्षित रखते हुए अपील नियमानुसार बउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 13 जुलाई 2023 को पेश हो। 12.7.2023 राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	
13 जुलाई 2023	पत्रावली स्थगन प्रार्थनापत्र पर आदेशार्थ पेश हुई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट उपस्थित, जिनकी स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत इकतरफा बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने मामले के तथ्य प्रकट करते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 13 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, कुल रकबा 10 बीघा वाके मौजा चौपासनी जागीर पुश्तैनी भूमि है जिसमें स्व. केशुराम जी के वारिसान के संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से में वादी का 1/7वां अर्थात कुल रकबे का 1/21वॉं हिस्सा है। दिनांक 08 जनवरी 2020 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आपसी सहमति, राजीनामा बाबत बंटवारा इकरारनामा के जरिये वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करा लिया गया है और म्युटेशन संख्या 1411 खोला जाकर जमाबंदी में नये खसरा नम्बर 13/2, 14/7, 14/8, 14/19 व 14/20 डाल दिये गये, किन्तु राजस्व नक्शे में बंटवारा अनुसार तरमीम नहीं होने के कारण उक्त बंटवारा हो जाने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने वादग्रस्त आराजियात के संबंध में दावा पेश किया, जिसमें बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा गया और वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मई 2022 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील की कार्यवाही में अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19 मई 2022 के जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 मई 2022 की पालना एवं प्रभाव स्थगित रखे गये। अदालत हाजा के उक्त आदेश दिनांक 19 मई 2022 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 2846/2022 दिनांक 17 जून 2022 को निर्णित की गयी जिसमें अदालत हाजा	

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

का उक्त आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर (दक्षिण) जोधपुर को रिमाण्ड किया गया। इसी कम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 19076/2022 रामदयाल बनाम राजेन्द्र इत्यादि में आदेश दिनांक 04 जनवरी 2023 पारित करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर (दक्षिण) जोधपुर तीन सप्ताह में प्रकरण निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी जाहिर किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बंटचारा हो चुका है, साथ ही नेशनल हाइवे अथॉरिटी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान में से रिंग रोड हेतु अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि भी सभी सहखातेदारान की सहमति से तथा बंटवारे के अनुसार रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्राप्त कर ली गयी। मगर इन सभी तथ्यों को छुपा कर वादी-रेस्पो. संख्या एक ने विचारण न्यायालय में आलौच्य वाद पेश किया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा अपना पक्ष स्पष्ट कर दिये जाने के बावजूद भी मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार स्थगन प्रार्थनापत्र का समय पर निस्तारण नहीं किये जाने के मामलों में माननीय राजस्व मण्डल की पूर्णपीठ (फुलबेंच) द्वारा अंतरिम आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील को पोषणीय माना गया है। अतः आलौच्य अपील को पोषणीय मानते हुए मूल अपील के निस्तारण तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 मई 2022 की पालना एवं प्रभाव स्थगित रखे जावे क्योंकि अपीलाधीन आदेश की आड में वादी-रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट के हिस्से में उक्त बंटवारा के जरिये प्राप्त भूमि के कब्जे-काश्त में दखलंदाजी की जा रही है, जिससे अपीलाण्ट अपने हिस्से में प्राप्त भुमि का उपयोग-उपभोग एवं प्रबन्धन नहीं कर पा रहा है और अपीलाण्ट को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति हो रही है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट की बहस एवं अपील मीमों में अंकित विवरण के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 मई 2022 के खिलाफ पूर्व में अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील की कार्यवाही में अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 19 मई 2022 के जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 मई 2022 की पालना एवं प्रभावत स्थगित रखे गये। अदालत हाजा के उक्त आदेश दिनांक 19 मई 2022 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 2846/2022 दिनांक 17 जून 2022 को निर्णित की गयी जिसमें अदालत हाजा का उक्त आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर (दक्षिण) जोधपुर को रिमाण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तामील में जा हुए

किया गया। जिसके खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 19076/2022 में आदेश दिनांक 04 जनवरी 2023 पारित करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर (दक्षिण) जोधपुर तीन सप्ताह में प्रकरण निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

इन परिस्थितियों में सर्वाधिक विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष पोषणीय है? यदि हॉ, तो क्या स्थगन प्रार्थनापत्र के संबंध में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में है? इस संबंध में मनन करने पर पाया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 10 मई 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं मानते हुए निगरानी संख्या 2846/2022 दिनांक 17 जून 2022 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 19076/2022 रामदयाल बनाम राजेन्द्र परिहार इत्यादि में आदेश दिनांक 04 जनवरी 2023 पारित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि -

> "…. The S.D.O., Jodhpur (South) is directed to decide the pending application for temporary injunction, if the same is ripe for hearing within a period of three weeks from the date, to be fixed by it tomorrow…"

विचारण न्यायालय में प्रकरण की आदेशिकाओं की जो छायाप्रतियॉ अपील के साथ प्रस्तुत की गयी है, उनके अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 23 अगस्त 2022 में अंकितानुसार अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत तथा दिनांक 13 जनवरी 2023 की आदेशिका में अंकितानुसार अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत बहस हेतु प्रकरण लम्बित चलता रहा है और दिनांक 22 जून 2023 को उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाबत बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश आगामी पेशी 7 जुलाई 2023 मुकर्रर की गयी है।

जाहिर है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को स्थगन प्रार्थनापत्र निस्तारण हेतु परिपक्व होने की स्थिति में आगामी तीन सप्ताह में निस्तारित किये जाने के निर्देश देते हुए पारित आदेश दिनांक 04 जनवरी 2023 के बाद विचारण न्यायालय में दिनांक 13 जनवरी 2023 की आदेशिका में अंकितानुसार प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सीपीसी अप्रार्थी संख्या 8 (अपीलाण्ट रामदयाल) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पेशी वांस्ते आदेश दिनांक 05 जुलाई 2023 मुकर्रर की गयी, इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दी गयी। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन अंतरिम आदेश के खिलाफ प्रस्तुत आलौच्य अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत स्थनग प्रार्थनापत्र अदालत हाजा में संधारण योग्य नहीं पाये जाते है। अतः प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं होने से तदनुसार खारिज किये जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्थगन प्रार्थनापत्र के निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावे। तदनुसार अपील फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश सुनाया गया।

13.07.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर